



# उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

उ०शि०आयोग / सी-814 / 1308(1) / 2020-21

दिनांक: 19 मार्च, 2021

## प्रेस-विज्ञप्ति

विज्ञापन सं०-49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों के विरुद्ध साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये 610 अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन हेतु अपरिहार्य कारणों से दिनांक- 31.03.2021 एवं 01.05.2021 को बुलाये गये अभ्यर्थियों को क्रमशः दिनांक 05,06,07 अप्रैल, 2021 एवम् दिनांक 08,09,12 अप्रैल, 2021 को समायोजित करते हुए आमंत्रित अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेखों से मिलान हेतु सभी शैक्षणिक अभिलेखों, शिक्षण अनुभव, शोध गाइडेन्स/अन्य शोध कार्य, शोध पत्रिका के यू.जी.सी. सूची में होने तथा आई.एस.एस. संख्या, इम्पैक्ट फैक्टर का प्रमाण-पत्र, प्रकाशित पुस्तक के आई.एस.वी.एन. संख्या का प्रमाण-पत्र एवम् API हेतु क्लेम किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों की स्वप्रमाणित दो-दो छाया प्रतियों तथा आयोग के पोर्टल पर दिया गया शपथ-पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है सहित पूर्वान्ह 10:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना उनके पंजीकृत ईमेल पर एवं उनके मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी। उक्त क्रम में दिनांक 05 अप्रैल, 2021 से 12 अप्रैल, 2021 तक उक्त अभिलेखों के सत्यापन हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों का संशोधित विवरण आयोग के पोर्टल [www.uphesonline.org](http://www.uphesonline.org) पर उपलब्ध हैं। कृपया उक्त के क्रम में समस्त अभिलेखों के साथ यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। तिथिवार मूल अभिलेखों से मिलान हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक संलग्न हैं।

मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने के उपरान्त ही साक्षात्कार हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

सचिव  
उ०शि० आयोग

  
(वन्दना त्रिपाठी)  
सचिव